न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व विविध/ प्रा.पत्र/15/2022/बाड़मेर

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
हीराराम पुत्र देरामाराम जाति जाट उम्र 48 वर्ष निवासी भाचभर तहसील रामसर व जिला बाड़मेर	1. जालमसिंह पुत्र जोगसिंह उर्फ जोगराजसिंह उम्र 40 वर्ष 2. नरपतसिंह उर्म दलपतसिंह पुत्र जोगसिंह उर्फ जोगराजसिंह उम्र 37 वर्ष 3. प्रागसिंह पुत्र वीरसिंह उर्फ पीरदानसिंह उम्र 72 वर्ष 4. कलसिंह उर्फ कल्याणसिंह उर्फ कुम्पसिंह पुत्र वीरसिंह उर्फ पीरदानसिंह उम्र 67 वर्ष जाति राजपूत निवासी लसूवा(भाचभर) तहसील रामसर जिला बाड़मेर (अपीलांट संख्या 01 से 04) 5. तेजमालसिंह पुत्र आमसिंह उम्र 52 वर्ष 6. चन्दनसिंह पुत्र पाबूदानसिंह उम्र 32 वर्ष 7. लालसिंह पुत्र पाबूदानसिंह उम्र 72 वर्ष 8. गजेसिंह पुत्र वीरसिंह उर्फ पीरदानसिंह के कायम मुकाम 8/1भोजराजसिंह पुत्र गजेसिंह 8/2खंगारसिंह पुत्र गजेसिंह 8/3भूपालसिंह पुत्र गजेसिंह उम्र 16 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता आवकंवर धर्मपत्नी श्री गजेसिंह 8/4आवकंवर धर्मपत्नी श्री गजेसिंह उम्र 58 वर्ष जाति राजपूत निवासी लसूवा(भाचभर) तहसील रामसर जिला बाड़मेर 9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामसर जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सपठित धारा 141 सी पी सी वास्ते माननीय न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय दिनांक 25.03.2022 बिना क्षैत्राधिकार का होने से, न्यायालय को धोखे में रखते हुए तथा सम्बंधित तथ्यों को छिपाते हुए पारित करवाये गये निर्णय को न्यायहित में रिकोल कर निरस्त करने।

उपस्थित

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी प्रार्थीगण आवेदक की ओर से

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

2. वकील श्री बांकाराम चौधरी अप्रार्थी संख्या 01 से 04 व 08 के कायम मुकाम की ओर से

निर्णय

दिनांकः—17.10.2022

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 151 सपठित धारा 141 सी पी सी पेश कर अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराया। उन्होनें बताया कि अपील संख्या 77/2020 अपीलांट द्वारा जालमसिंह वगै. बनाम तेजमालसिंह वगै. पेश की। ग्राम भाचभर तहसील रामसर के खेत खसरा संख्या 266 रकबा 17.09 बीघा, खसरा संख्या 215 रकबा 16.04 बीघा, खसरा संख्या 216 रकबा 54.10 बीघा भूमि कुल रकबा 88.03 बीघा भूमि का विप्रार्थी संख्या 05 से 08 के पूर्वजों के नाम पर्चा लगान जारी हुआ था जिनका कब्जा व काश्त होने से उनके नाम सही तौर से दर्ज हुई थी और उनके स्वयं की स्व—अर्जित भूमि थी उससे पूर्व खालसा सरकार के नाम भूमि दर्ज थी। अपीलाधीन आराजी में से विप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 ने अपने आधे हिस्से की 44.01 बीघा भूमि बताकर अपने पक्ष में अपंजीकृत, अनस्टाम्पड, फर्जी, कुटरचित व विधि विरूद्ध बेचान दिनांक 25.03.1968 बताकर झूठी मौखिक कहानी की रचना कर सेटलमेंट से करीबन 55 वर्षों के पश्चात एक राजस्व वाद संख्या 119/2010 अन्तर्गत धारा 88, 188 रा का अधि के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जो तकरीबन 04 वर्षों तक चला तथा अन्त में दिनांक 24.06.2014 को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारीज कर दिया गया। उपरोक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय में करीबन 6 वर्ष 06 मास पश्चात उपरोक्त अपीलांटगण व उतरदातागण ने मिलावट व साजीश कर अपील धारा 223 रा का अधि के तहत दिनांक 23.12.2020 को पेश की। उपरोक्त अपील पेश करने से पूर्व उतरदातागण तेजमालसिंह, चन्दनसिंह व लालसिंह, जो रिकॉर्डेड खातेदार थे व है ने उपरोक्त खसरों की कुल रकबा 88.03 बीघा भूमि में से 52.16 बीघा भूमि का रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 27.11.2020 के मार्फत प्रार्थी हीराराम पुत्र देरामाराम जाति जाट जाखड निवासी भाचभर वाले को विक्रय कर दी। उक्त बेचान पर म्यूटेशन भरा जाकर बतौर खातेदार प्रार्थी हीराराम का नाम जमाबंदी मे दर्ज कर दिया गया था। उपरोक्त अपील में प्रार्थी हीराराम पुत्र देरामाराम को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाकर मिलावटी अपील पेश की गई जिस अपील में उपरोक्त बेचान व खरीदसुदा भूमि का विप्रार्थी संख्या 05 से 07 ने कोई हवाला नहीं दिया और न ही कोई एतराज किया और न ही कोई जिक्र कर उजागर किया जबकि उक्त बेचान दिनांक 27.11.2020 को करने के पश्चात ही माननीय न्यायालय मे साजिश कर अपील पेश की गई। प्रार्थी हीराराम को पक्षकार नहीं

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

बनाया गया था जबकि प्रार्थी वादग्रस्त खसरों का वास्तविक खशीदवार है और रिकॉर्डेड खातेदार है, जिस वजह से उक्त आदेश से पीड़ित होकर यह आवेदन पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2014 को जो आदेश वादपत्र को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज करने का दिया है वो आदेश 09 नियम 03 सी पी सी के तहत आता है, जो डिक्री की परिभाषा में शुमार नहीं होता है, उपरोक्त आदेश के विरूद्ध या तो परिसीमा अवधि के अन्दर नया वाद पेश किया जा सकता है या वाद को पुनः बरामद करने हेतु आवेदन पेश किया जा सकता है। इस वजह से माननीय न्यायालय में उक्त आदेश की कोई अपील न तो धारा 223 रा का अधि के तहत होती है और न धारा 226 रा का अधि के तहत होती है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रावधानों के तहत पारित एकतरफा आदेश दिनांक 25.03.2022 विधि विरूद्ध होने से उसे रिकोल करना आवश्यक, उचित व न्यायसंगत है। अपीलांटगण ने माननीय न्यायालय में पेश अपील में वर्णित तथ्यों में वाद को पुन बरामद करने का आवेदन पेश करना बताया गया है और उक्त आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एडमिट नहीं करने का भी हवाला दिया है जिसके संबंध में अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पेश नहीं की है और न ही अधीनस्थ न्यायालय में उपरोक्त आवेदन पेश करने के संबंध में कोई प्रमाणित प्रति ही पेश की गई है। Fraud-avoids all judicial acts, It is the settled proposition of law that a judgment or decree obtained by playing fraud on the court is a nullity and non est in the eyes of law. Such a judgment/decree-by the first court or by the highest court has to be treated as a nullity by every court, whether superior or inferior. It can be challenged in any court even in collateral proceedings. उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धांतों के मुताबिक अपीलांटगण और उतरदातागण संख्या 01 से 04 ने माननीय न्यायालय के साथ साथ प्रार्थी के साथ भी धोखा–धड़ी करके और इस प्रकरण से संबंधित तथ्यों को छिपाते हुए प्रार्थी हीराराम को पक्षकार नहीं बनाते हुए निर्णय पारित करवाया गया होने से पुन विचार कर उसे निरस्त करना आवश्यक व न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित नयायिक दृष्टांत पेश किये:–

AIR 2006 SC Page 2759
CCC 2021(1) Page 251
CCC 2019(3) Page 267

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

CCC 2003(3) Page 23
CCC 2011(2) Page 708
AIR 2010(1) Page 1872
CCC 2009(1) Page 295

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 04 व 08 के कायम मुकाम ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सपठित धारा 141 सी पी सी पेश कर अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि प्रार्थी ने अपने आवेदन में अपीलाधीन आराजी को स्व–अर्जित बताया है जबकि इस बिंदु को तय करने का विधिक क्षेत्राधिकार विधि अनुसार सहायक कलक्टर न्यायालय को जरिए साक्ष्य सबूत से करने के प्रावधान है जिसमें विधिक विवेचन कर माननीय न्यायालय श्री ने प्रकरण रिमांड किया है जो विधि अनुसार सही निर्णय है। प्रार्थी ना तो वाद मे पक्षकार रहा है ना ही वाद में रहे किसी पक्षकार का विधिक वारिसान रहा है इसलिए उसको पक्षकार बनाया जाना कतई नहीं रहा है इसलिए अपील में पक्षकारों का असंयोजन कतई नहीं रहा है अपीलांट ने पक्षकारों के संबंध में कोई तथ्य नहीं छिपाए है नहीं किसी प्रकार से न्यायालय को धोखे में रखा है। बल्कि प्रार्थी द्वारा अनुचित रूप से न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की नियत से उक्त निराधार आवेदन पेश किया है। प्रार्थी स्पष्ट रूप से तृतीय पक्षकार है कोई तृतीय पक्षकार पुनरावलोकन कतई पेश नहीं कर सकता है। यदि उक्त प्रकरण को पुनरावलोकन ना मान कर विविध प्रकरण के रूप में सुनवाई करता है तो किसी भी विविध प्रकरण में अपीलीय न्यायालय में सुनवाई हेतु तृतीय पक्षकार को अपने प्रकरण प्रार्थना–पत्र के साथ अनुमति पाने का प्रार्थना–पत्र पेश किया जाना आज्ञापक है एवं कानूनन ऐसा निर्धारित करते है कि जब तक तृतीय पक्षकार को प्रकरण पेश करने की अनुमति के बिंदु को तय नहीं किया जाता तब तक संबंध प्रकरण में किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं की जा सकती ना ही अनुमति के प्रार्थना–पत्र के अभाव में ऐसा आधारहीन विविध प्रकरण चल सकता है। अपील के साथ में दिनांक 22.12.2020 को जारी वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी की प्रति पेश की है जिसमें हीराराम पुत्र देरामाराम नाम से कोई खातेदार का अंकन नहीं है। हस्तगत अपील को टंकित करवाते समय वाद पत्र के पक्षकारों व राजस्व रेकर्ड के अंकन का भलीभांति अवलोकन कर न्यायालय में रेकर्ड व वादग्रस्त आराजी के उचित पक्षकारों को पक्षकार बनाकर अपील संख्या 77/2020 प्रस्तुत की थी जो अपील मीमो व साथ पेश दस्तावेजों से भलीभांति स्पष्ट है। प्रार्थी पश्चातवर्ती क्रेता के रूप में आया है तथा अपीलांट न्यायालय को येन केन प्रकारेण भ्रमित कर विविध प्रकरण के जिरए अपीलीय अधिकार निर्मित करने की दुर्भावना रखता है इसलिए ऐसे मिथ्या व न्यायिक चरित्र के विपरीत कथन कर उक्त

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

विविध प्रकरण श्रीमान न्यायालय के समक्ष लेकर आया है जो किसी भी कानूनी प्रावधान में सुनवाई का स्तर व क्षेत्राधिकार नहीं रखता है। प्रार्थी उतरदातागण के फुट स्टेज पर है तथा पश्चातवर्ती रूप से अस्तित्व में आया है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद अपने आरंभिक स्थिति में रिमांड प्रकरण है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास प्राकृतिक न्यायालय के सिद्धांत के तहत अपने हित के लिए पक्ष रखने का अधीनस्थ न्यायालय में पूरा–पूरा अवसर उपलब्ध है एवं कानून व विधि भी ऐसा निर्धारित करती है कि वह आरंभिक न्यायालय में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश कर अपने अधिकारों का संरक्षण करने हेतु अपना संपूर्ण पक्ष रख सकते है। माननीय न्यायालय श्री ने अवलोकन कर अपील को दर्ज कर विचारण के समय भली–भांति अवलोकन किया जाकर अपीलांटगण के नेचुरल जस्टिस को मदेनजर रखते हुए अपने धारा 218 के राज.का.अधि. के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्याय करने की मंशा से उक्त अपील को निर्णित किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया है जसमें अपील न्यायालय द्वारा कोई डिक्री जारी कतई नहीं की है जिसकी कल्पना प्रार्थी द्वारा की जा रही है। ऐसी मिथ्या कल्पना से प्रार्थी न्यायालय श्री को भ्रमित कतई नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति प्रकरण में पक्षकार नहीं है वह प्रकरण की कार्यवाही में विविध आवेदन के मार्फत भाग नहीं ले सकता, अतः प्रार्थी का एतराज था तो उन्हें विधि अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाए जाने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में पक्षकार बनना चाहिए था उसके बाद ही वह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश पर आपति कर सकता था। माननीय न्यायालय द्वारा आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थी का आवेदन खारिज फरमाया जावे। विप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2022(1) Page 7

RRT 2021(2) Page 1006

RRT 2018(2) Page 1505

RRT 2018(2) Page 1022

RRT 2018(2) Page 1015

RRT 2012(1) Page 111

RRT 2012(2) Page 857

RRT 2001(1) Page 444

DNJ 2022(2) Page 788

DNJ 2022(1) Page 831

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

RRT 2021(1) Page 676

DNJ 2022(1) Page 649

RRT 2005(1) Page 545

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थी ने हस्तगत आवेदन से हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर प्रकरण को रिकोल करने का निवेदन किया। हाजा न्यायालय द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड करते हुए आदेश पारित किये गये कि "मूल वाद को पुन नम्बर पर दर्ज करे। उभयपक्षकारान के मध्य विवाद नहीं हो तथा व्यर्थ ही मुकदमेबाजी नहीं बढे इसलिए वाद के निस्तारण तक अपीलाधीन आराजी के आधे हिस्से तक की भूमि का बेचान/हस्तांतरण नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। मूल वाद आ अधिकतम छह माह में निस्तारण करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.05.2022 को उपस्थित हो।" उभयपक्षकारान के विवाद एवं हितों का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सबूत से ही होना है। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर मूल वाद में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए थी न कि हाजा न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश कर न्यायालय का समय जाया। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सपठित धारा 141 सी पी सी के तहत पेश किया गया है। इसमें सी पी सी के उपबंध के अध्यधीन ही रिकोल किया जा सकता है जिसके तहत आदेश 47 लागू होगा। आदेश 47 के प्रावधान मुताबिक पुनर्विलोकन का दायरा(परिक्षेत्र) या गुंजाईश बहुत सीमित है। न्यायालय हाजा के निर्णय के संबंध में जो आपत्तियाँ प्रस्तुत आवेदन में उठाई गई है उनके संदर्भ में अपील पत्रावली एवं निर्णय देखा गया। अपीलाधीन भूमि के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख निर्णय का समर्थन करता है कि प्रार्थी का नाम अपील के साथ पेश जमाबंदी में दर्ज नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल ने RRT 2018(2) Page 1505 में स्पष्ट प्रतिपादित किया कि"अप्रार्थी वाद पत्र व प्रार्थना अस्थाई निषधाज्ञा मे पक्षकार नहीं था। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी संधारण योग्य नहीं था। जो व्यक्ति प्रकरण में पक्षकार नहीं है वह प्रकरण की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। वह विधि प्रक्रिया अपनाकर वाद में पक्षकार बनने की कार्यवाही अमल में लाकर पक्षकार बनने के बाद वाद में किसी प्रकार की कार्यवाही में भाग लेने के लिये सक्षम है।"

हाजा न्यायालय द्वारा मूल अपील में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए निर्णय पारित किया गया जो युक्तियुक्त एवं विधि सम्मत है जिसमें

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। धारा 151 सी पी सी के तहत पूर्व प्रसारित निर्णय को बदला नहीं जा सकता। धारा 151 सी पी सी के तहत न्यायालय को अन्तर्निहित शक्तियां प्रदत्त की गयी है तथा इस शक्ति का प्रयोग न्याय प्रदान करने के लिये किया जा सकता है, ना कि विधि के प्रावधान को विफल करने के लिये।

ए.आई.आर 1995 पृष्ठ 455 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मत प्रतिपादित किया गया कि नजरसानी का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है और केवल ऐसी त्रुटि को ही नजरसानी के माध्यम से दुरूस्त किया जा सकता है जो न्यायालय द्वारा भूलवश कारित कर दी गई हो। अगर पक्षकार द्वारा कोई सुसंगत तथ्य प्रस्तुत नहीं करने से अथवा न्यायालय द्वारा विधि की गलत व्याख्या करने से अथवा न्यायालय द्वारा तथ्यों की गलत विवेचन करने से कोई गलत निर्णय पारित कर दिया गया है तो नजरसानी द्वारा ऐसे गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता।

रिकोल एवं रिव्यू एक ही स्थिति है जो एक अतिरिक्त अपील का माध्यम नहीं बन सकता। उपरोक्त प्रार्थना–पत्र की आड़ में यह न्यायालय इस सम्पूर्ण प्रकरण के गुणावगुण पर नये सिरे से सुनवाई कर निर्णय करने के पक्ष में नहीं है। रिकोल एवं रिव्यू का दायरा सीमित है और रिकोल एवं रिव्यू की आड में प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता। हाजा न्यायालय द्वारा अपील में निर्णय पारित करते वक्त ऐसी कोई कमी कारित नहीं की गई जिसको रिकोल करके सुधारा जा सके। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज करने योग्य ठहरता है।

अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सपठित धारा 141 सी पी सी पेश के लिए <u>अन्य कोई पर्याप्त कारण न्यायालय को दृष्टि में नहीं आया है</u> जो इसका आधार बन सके। लिहाजा वह मंजूर करने योग्य नहीं है। प्रस्तुत आवेदन विधि के प्रावधानों के आलोक में अनुज्ञात नहीं होने एवं समुचित आधारों एवं कारणों के अभाव में खारिज किया जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.10.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर